झारखंड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांक –3/पी॰ एम॰ सी॰/प्र०स्वी०/126/2016 ..../राँची/दिनांक..........................

प्रेषक:

ई० राजेन्द्र प्रसाद
उप सचिव (अभि॰)

सेवा में,

महालेखाकार,
झारखंड, हिनू, राँची।

द्वारा: **आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग।**

विषय: **मुख्य अभियंता यॉंत्रिक अन्तर्गत त्रिवेणी वीयर योजना, मयूराक्षी जलाशय योजना एवं धनकाई जलाशय योजना के विभिन्न गेटों का जीर्णोद्धार एवं अन्य यॉंत्रिक कार्य हेतु कुल रू0 63.41 लाख (रूपये तिरेसठ लाख एकतालीस हजार) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।**

आदेश–स्वीकृत्

1. मुख्य अभियंता यॉंत्रिक अन्तर्गत त्रिवेणी वीयर योजना, मयुराक्षी जलाशय योजना एवं धनकाई जलाशय योजना के विभिन्न गेटों का जीर्णोद्धार एवं अन्य यॉंत्रिक कार्य हेतु कुल रू0 63.41लाख (रूपये तिरेसठ लाख एकतालीस हजार) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. **इसके अन्तर्गत निम्न कार्य कराये जायेंगे :–**

   (a) त्रिवेणी वीयर योजना (राशि ₹ 29.16 लाख) :–

   (i) त्रिवेणी वीयर योजना के Head works पर 5 No. sluice gate, 2 No. H/R gate and 51 No. Falling shutter की मरम्मति एवं बदलने का कार्य।

   (ii) उक्त गेटों का Embedded parts, Bottom Seal Rubber, Side Seal Rubber एवं Hoisting arrangement, New Hoist bridge with chequered plate, Painting of all Sluice gate, H/R & 51 No. Falling shutter का कार्य।

   (iii) विभिन्न अवयवों की मरम्मति एवं अन्य संबंधित कार्य।

   (b) मयूराक्षी जलाशय योजना (राशि ₹ 4.72 लाख) :–

   (i) मयुराक्षी बायॉं मुख्य नहर के पतजोर वितरणी में एक अदद H/R गेट का निर्माण एवं अधिष्ठापन का कार्य ।

   (ii) उक्त गेटों का Embedded parts, Hoisting arrangement, Side & bottom seal seat लगाने का कार्य।

   (iii) विभिन्न अवयवों की मरम्मति एवं अन्य आवश्यक संबंधित कार्य।

   (c) धनकाई जलाशय योजना (राशि ₹ 29.53 लाख) :–

   (i) योजना के Emergency & service Gates बदलने का कार्य।

   (ii) उक्त गेटों का Embedded parts, Bottom seal, Side Seal एवं Hoisting arrangement, Spindle System, Warm Gear, M.S. extension pipe Flange coupling, C-clamp guide, Hoist bridge with chequered plate & Trash rack, Shading का निर्माण एवं अधिष्ठापन का कार्य।

   (iii) तीन वर्षों तक repair, maintenance and operation

   (iv) विभिन्न अवयवों की मरम्मति एवं अन्य संबंधित कार्य।

3. उक्त कार्यों के नियंत्री पदाधिकारी मुख्य अभियंता (यांत्रिक) जल संसाधन विभाग, राँची होंगे। कमांक 2(a) एवं 2 (b) पर के कार्यों के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता, सिंचाई यांत्रिक प्रमंडल, देवघर होंगे तथा कमांक 2(c) पर के कार्य के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता, यांत्रिक प्रमंडल, मण्डल (लातेहार) शिविर मेदिनीनगर होंगे।

4. **यह कार्य बजट शीर्ष :–**

मुख्य शीर्ष 4701–मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय–उपमुख्य शीर्ष–80–सामान्य लघुशीर्ष–800– अन्य व्यय –उपशीर्ष–46–सिंचाई योजनाओं का पुनर्स्थापन विस्तृत शीर्ष–05–निर्माण–45–निर्माण कार्य के अंतर्गत विकलनीय होगा।

5. इस कार्य का समावेश वर्ष 2017–18, के सी०ओ०बी०टी० में समेकित रूप में है।

6. झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 300 का अनुपालन दृढता से किया जायेगा।

7. राशि की निकासी देवघर/लातेहार कोषागार से की जायेगी।

8. किसी भी स्थिति में राशि की निकासी बजट उपबंध के अन्तर्गत होगा।

9. इन कार्यो को वर्ष 2017–18 में प्रारम्भ कर एक वर्ष में पूर्ण कर लिया जायेगा।

10. इसके कार्यान्वयन में विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत निदेशों एवं अन्य विहित प्रक्रियाओं का सम्यक रूप से अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

11. प्रावधानित लौह सामग्रियों में से निकलने वाले लौह सामग्रियों का 40% राशि संवेदक के विपत्र से कटौती कर सरकारी राजस्व में जमा करना होगा।

12. इसके कार्यान्वयन के पूर्व पुर्नस्थापन कार्य के संबंध में विभाग द्वारा पूर्व में निर्गत दिशा निदेश का अनुपालन सक्षम तकनीकी पदाधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा एवं तकनीकी स्वीकृति प्रदान की जायेगी।

13. इस कार्य की फोटोग्राफी एवं विडियोग्राफी, कार्य के प्रारम्भ, कार्य के दौरान एवं कार्य के पूर्ण होने पर करा लिया जायेगा।

14. इस पर आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

15. प्रस्ताव पर विभागीय सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

16. इसे आन्तरिक वित्तीय सलाहकार के द्वारा महालेखाकार झारखंड, राँची को संसूचित किया जाय।

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

ह०/–
(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि०)

पत्रांक –3/पी० एम० सी०/प्र०स्वी०/126/2016................/राँची/दिनांक.............................

प्रतिलिपिः आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग, झारखंड को दो अतिरिक्त मूल प्रतियों के साथ महालेखाकार, झारखंड, राँची को संसूचनार्थ/योजना–सह–वित्त विभाग (योजना प्रभाग) झारखंड सरकार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित्।

ह०/–
(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि०)

पत्रांक –3/पी॰ एम॰ सी॰/प्र०स्वी०/05/2015–................../राँची/दिनांक............................

प्रतिलिपिः कोषागार पदाधिकारी, देवघर/लातेहार, झारखंड सरकार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित्।

ह०/
(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि॰)

पत्रांक –3/पी॰ एम॰ सी॰/प्र०स्वी०/126/2016................../राँची/दिनांक............................

प्रतिलिपिः सचिव के प्रधान आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखंड, राँची/संयुक्त सचिव (अभि॰) जल संसाधन विभाग, राँची/अभियंता प्रमुख–I/II, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, योजना मोनिटरिंग एवं आयोजन, राँची/मुख्य अभियंता (यॉत्रिक) जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, देवघर/ मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, मेदिनीनगर/अधीक्षण अभियंता (यॉत्रिक) सिंचाई यॉत्रिक अंचल, राँची/कार्यपालक अभियंता, सिंचाई यॉत्रिक प्रमण्डल, देवघर/ कार्यपालक अभियंता, यॉत्रिक प्रमण्डल, मंडल, लातेहार शिविर मेदिनीनगर/सिंचाई प्रमण्डल, दुमका/जलपथ प्रमंडल, गढ़वा/अधीक्षण अभियंता योजना, मोनिटरिंग एंव आयोजन अंचल–3 राँची एवं प्रशाखा पदाधिकारी–7 जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/
(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि॰)

पत्रांक –3/पी॰ एम॰ सी॰/प्र०स्वी०/126/2016................../राँची/दिनांक............................

प्रतिलिपिः आयुक्त, पलामू प्रमंडल/ संथालपरगना प्रमंडल को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि इसकी प्रतिलिपि अपने स्तर से जिलान्तर्गत माननीय सांसद एवं विधायक को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

ह०/
(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि॰)

पत्रांक –3/पी॰ एम॰ सी॰/प्र०स्वी०/126/2016................../राँची/दिनांक............................

प्रतिलिपिः माननीय मंत्री महोदय के आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/
(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि॰)

पत्रांक –3/पी॰ एम॰ सी॰/प्र०स्वी०/126/2016...75/12-18 प्र॰ स्वी॰.../राँची/दिनांक...07.02.2018...

प्रतिलिपिः वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग, राँची को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित/कार्यपालक अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग प्रमण्डल सं०–3, राँची को प्रशासनिक स्वीकृति On-line करने हेतु प्रेषित।

07/02/2018
(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि॰)
07/02/18